–निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति–

राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा (मा०), 18 पार्क रोड, लखनऊ के पत्र संख्या–समग्र शिक्षा (मा०)/664–65/2026–27, दिनांक 11.06.2026 के द्वारा **"रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण"** के अन्तर्गत बालिकाओं को विपरीत परिस्थितियों से सामना करने एवं मानसिक एवं शारीरिक रूप से सशक्त बनाने हेतु जनपद के 17 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को 03 माह तक आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिसके हेतु प्रशिक्षक (मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट योग्यताधारी) की आवश्यकता है। इस हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, मऊ से आवेदन प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 29 जुलाई 2026 निर्धारित है।

नियम व शर्तें–

1–जनपद मऊ के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के अन्तर्गत बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु प्रशिक्षकों के चयन हेतु दिनांक 29 जुलाई, 2026 तक आवेदन आमन्त्रित किये जाते है। निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त कोई आवेदन किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2–प्रशिक्षक द्वारा अपना आवेदन निर्धारित तिथि तक पंजीकृत डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से जिला विद्यालय निरीक्षक, कार्यालय, मऊ में जमा किया जा सकता है।

3–प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा प्रति माह रू० 5000– की दर से मानदेय प्रदान किया जायेगा तथा प्रशिक्षक को तीन माह हेतु अधिकतम रू० 15000– दिया जायेगा।

4–उक्त प्रशिक्षण प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 03 माह हेतु निर्धारित है।

5–प्रशिक्षण की अवधि प्रतिदिन 40 मिनट निर्धारित है।

6–प्रशिक्षण हेतु ऐसे खिलाड़ियों को चयन किया जायेगा जिसके पास मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट योग्यता प्रमाण पत्र हो।

7–चयनित प्रशिक्षक ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में भी कार्य करने का इच्छुक हो।

8–प्रशिक्षक के रूप में यथा सम्भव महिला प्रशिक्षक का ही चयन किया जायेगा। महिला प्रशिक्षक न मिलने की स्थिति में पुरुष प्रशिक्षक चयनित किया जायेगा।

14.07.26
(गौतम प्रसाद)
जिला विद्यालय निरीक्षक
मऊ

कार्यालय–जिला विद्यालय निरीक्षक,मऊ

पृ०सं०/ 1295-1301 /2026–27 दिनांक– 14-07-2026

प्रतिलिपि– निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा (मा०),18 पार्क रोड, लखनऊ।

2–जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति, मऊ।

3–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मऊ।

4–संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।

5–जिला सूचना अधिकारी, मऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति जनपद के समस्त समाचार पत्रों में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

6–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापन को एन0आई0सी0 पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

7–ब्यूरो चीफ सम्मानित दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, आज, राष्ट्रीय सहारा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति अपने दैनिक समाचार पत्र में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

14.07.26
जिला विद्यालय निरीक्षक
मऊ।